रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233773 CG-DL-E-28022022-233773

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

No. 112]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

सं. केविप्रा-जीओ-13-15(12)/1/2022-डीपीआर प्रभाग.-- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाले प्रारूप विनियमों को विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम (3) के उप-नियम (2) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) के द्वारा यथा अपेक्षित छह दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें, उक्त प्रकाशनों को अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई तारीख से 33 दिनों की अविध के समाप्त होने से पूर्व, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त विनियमों को अंतर्विष्ट करने वाले उक्त समाचार पत्रों की प्रतियां जनता को तारीख 25.03.2021 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया था;

1381 GI/2022 (1)

अतः अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पिठत धारा 55 की उप-धारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :-

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2022 है।
 - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन और प्रचालन) विनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(घ क) 'एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर' स्मार्ट मीटर, संचार नेटवर्क और डाटा प्रबंधन प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है जो यूटिलिटी और ऊर्जा मीटर के बीच द्विदिशात्मक संचार को सक्षम बनाता है, और एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यात्मक ब्लॉक में साधारणतया हेड एंड प्रणाली, वाइड एरिया नेटवर्क, नेबरहुड एरिया नेटवर्क, डाटा कंसेनट्रेटर यूनिट और होम एरिया नेटवर्क सम्मिलित होता है;
 - (घ ख) 'एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता', 'एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर' का या उसके एक हिस्से का स्वामित्व, संचालन और रखरखाव के लिए, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, जब तक कि लाइसेंसधारी को इसका हस्तांतरण नहीं हो जाता।"
- 3. उक्त विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(ख) संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप, पूर्व भुगतान मोड में काम कर रहे स्मार्ट मीटर के साथ बिजली की आपूर्ति की जाएगी;

परंतु सुसंगत भारतीय मानक में निर्दिष्ट से अधिक विद्युत धारा वहन क्षमता वाले सभी उपभोक्ता कनेक्शनों को स्वचालित रिमोट मीटर रीडिंग सुविधा वाले मीटर या सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क नहीं है, वहां संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप, पूर्व भुगतान मीटरों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।"

- 4. उक्त विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थातु :-
 - ''(क) उपभोक्ता मीटर साधारणतया लाइसेंसधारी के स्वामित्व में होंगे;

परंतु कि यदि लाइसेंसधारी ने एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता क्षेत्र के लिए, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करने हेतु, एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता की सेवाएं ली हैं, तो अनुबंध अविध के दौरान मीटर का स्वामित्व एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता के पास रहेगा।"

- 5. उक्त विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात :-
 - "(iii) वितरण प्रणाली
 - (क) सभी आगमिक फीडर (3.3 केवी और ऊपर);

- (ख) सभी बहिर्गामी फीडर (3.3 केवी और ऊपर);
- (ग) वितरण ट्रांसफार्मर सहित उप-केंद्र ट्रांसफार्मर लाइसेंसधारी ऊर्जा लेखा एवं संपरीक्षा की आवश्यकता के आधार पर प्राथमिक या द्वितीयक तरफ या दोनों तरफ मीटर प्रदान कर सकता है;

परन्तु कि सभी फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों को केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, स्वचालित रिमोट मीटर रीर्डिंग सुविधा वाले मीटर या सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मर स्तर का ऊर्जा लेखा डाटा, राष्ट्रीय ऊर्जा पोर्टल पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा(लेखांकन) संचालन हेतु रीति और अंतराल) विनियम, 2021 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, तिमाही आधार पर अपलोड किया जाएगा। "

वी. के. मिश्र, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./665/2021-22]

टिप्पण: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 502/70/केविप्रा/ डीपीएंडडी, तारीख 22 मार्च, 2006 के अधीन प्रकाशित किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सीईए-जीओ-13-15/3/2019-डीपीआर प्रभाग, तारीख 23 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

No. CEA-GO-13-15(12)/1/2022-DPR Division.—Whereas the draft regulations proposing to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 was published in six newspaper dailies, as required by sub-section (3) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (2) of rule (3) of the Electricity (Procedure for previous Publication) Rules, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty three days, from the date on which the copies of the newspaper containing the said publications were made available to the public;

And whereas copies of the said newspapers containing the said regulations were made available to the public on 25th March, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations were considered by the Central Electricity Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 read with clause (c) of sub-section (2) of section 177 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations further to amend the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (1) of regulation (2), after clause (d), the following shall be inserted, namely:-
 - "(da) 'Advanced Metering Infrastructure' is an integrated system of smart meters, communication networks and data management systems that enables two way communication between the utilities and energy meters, and the functional blocks of Advanced Metering Infrastructure typically include

Head end system, Wide area network, Neighborhood area network, Data concentrator unit and Home area network:

- (db) 'Advanced Metering Infrastructure Service Provider' is a person appointed by the distribution licensee, for owning, operating, and maintaining Advanced Metering Infrastructure or a part of the Advanced Metering Infrastructure, till its transfer to the licensee;".
- 3. In regulation 4 of the said regulations, in sub-regulation (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely: -
 - "(b) All consumers in areas with communication network, shall be supplied electricity with Smart Meters working in prepayment mode, conforming to relevant IS, within the timelines as specified by the Central Government:

Provided that all consumer connections having current carrying capacity beyond that specified in relevant IS, shall be provided with meters having automatic remote meter reading facility or Smart Meters as per relevant IS.

Provided further that in areas which do not have communication network, installation of prepayment meters, conforming to relevant IS, shall be allowed by the respective State Electricity Regulatory Commission".

- 4. In regulation 6 of the said regulations, in sub-regulation (2), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
 - "(a) Consumer meters shall generally be owned by the licensee:

Provided that in case the licensee has engaged the services of Advanced Metering Infrastructure Service Provider to provide Advanced Metering Infrastructure services for an Advanced Metering Infrastructure project area, the ownership of meters shall remain with Advanced Metering Infrastructure Service Provider during the contract period".

- 5. In regulation 7 of the said regulations, in sub-regulation (3), for clause (iii), the following shall be substituted, namely:
 - "(iii) Distribution system,-
 - (a) all incoming feeders (3.3 kV and above);
 - (b) all outgoing feeders (3.3 kV and above);
 - (c) sub-station transformer including distribution transformer Licensee may provide the meter on primary or secondary side or both sides depending upon the requirement for energy accounting and audit:

Provided that all feeders and distribution transformers shall be provided with meters having automatic remote meter reading facility or Smart Meters as per relevant IS, as per the timelines specified by the Central Government:

Provided further that distribution transformer level energy accounting data shall be uploaded by the distribution licensees on quarterly basis on National Power Portal as per the format prescribed in Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals for Conduct of Energy Audit in electricity distribution companies) Regulations, 2021".

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./665/2021-22]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. 502/70/CEA/DP&D, dated the 22nd March, 2006 and last amended vide notification No. CEA-GO-13-15/3/2019-DPR Division, dated the 23rd December, 2019.